

::: फार्म :::

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती सोनिया आशु र, स्कूल शिक्षा विभाग
- 2- वर्तमान धारित पद ओ.एस.डी.
- 3- वर्तमान वेतन 16760/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हों तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
X	X		X	निरंक	निरंक	X	X

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर S. Mal:
 नाम श्रीमती सोनिया आशु र
 पद ओ.एस.डी.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Suman Singh
- 2- वर्तमान धारित पद सहायक अभियंता
- 3- वर्तमान वेतन 93,000 - 34,800 अगली वेतन वृद्धि की तारीख JULY 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Meerut</u>	<u>Meerut</u>	<u>Meerut</u>	<u>Meerut</u>	<u>Meerut</u>	<u>Meerut</u>	<u>Meerut</u>	<u>Meerut</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उस धारित समस्त अचल सम्पत्ति वं ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम Suman Singh
 पद सहायक अभियंता

जा.क/5/05/10
 09/04/10

सहायक अभियंता - 1

9-4-10

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20-1991

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमाशंकर मिश्रा (विराजप्रसिद्ध 10 श्रेणी)
- 2- वर्तमान धारित पद सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन ₹ 3,000 - 3,480 - 3,200 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 11/7/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसका धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... रमाशंकर मिश्रा

नाम..... रमाशंकर मिश्रा

पद..... सहायक तकनीशियन

(सहायक तकनीशियन संकायनाम)


प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष ~~२०१०~~ १९९१

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. उमाकान्त उपाध्याय म.प्र. शास. सेवा
- 2- वर्तमान धारित पद. सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन. 13410 + 3200 GP. अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई २०१०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसी किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —

- * जहां लागू न हों काट दीजिए।
- * * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति व ब्यौरे दें।

इस्ताक्षर. 

नाम. उमाकान्त उपाध्याय

पद. सहायक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20 1988

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... नीलकेत ठो म.पु. शास. सेवा
- 2- वर्तमान धारित पद... स्नायक लक्ष्मी शिखर
- 3- वर्तमान वेतन... 16750/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख... जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ** *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... *Neelke*

नाम... नीलकेत ठो

पद... स्नायक लक्ष्मी शिखर

// फार्म //

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम पता उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
 - 2- वर्तमान धारित पद
 - 3- वर्तमान वेतन रूपये
- अगली वेतन वृद्धि की तारीख

एस.एन.सोनी
जूनियर तकनीशियन
17920+4200
जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय) प्लाट एवं कृषि भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल (नीलबड) नाथूबडखेडा	गृह	प्लाट	तीन लाख	श्री मीना सोनी (पत्नि)	महिला गृह निर्माण समिति आर्शिवाद नगर नीलबड भोपाल वर्ष 2009	निरंक	निरंक
भोपाल सुदामानगर कोटरा भोपाल	भवन	आवासीय	पाँच लाख	श्री मीना सोनी (पत्नि)	पैत्रिक सम्पत्ति	निरंक	निरंक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्या बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

हस्ताक्षर

नाम एस.एन.सोनी

पद जूनियर तकनीशियन

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....डॉ. राजेश्वरी प्रसाद तिवारी उच्च श्रेणी शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग
- 2- वर्तमान धारित पद.....प्रभारी सहायक संचालक
- 3- वर्तमान वेतन.....22250/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख.....1.7.2010

उस जिले, उप जंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक-विससत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
रीवा जिला तहसील - लोथर ग्राम - सहलोखवा	निरंक	कृषिभूमि	-	पुत्र, आशोष तिवारी	खरीद - दिनांक - 24.7.2002 विक्रेता - अराम पिता जगन्नाथ मौतिलाल पिता - जगन्नाथ पत्नी - पिता जगन्नाथ ग्राम - सहलोखवा, तहसील लोथर, जिला - रीवा - खसरा नं. 256 रकबा - 049 डि.	5000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी निरोधक श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा कर करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....राजेश्वरी
नाम.....डॉ. आर.पी. तिवारी
पद.....प्रभारी सहायक संचालक, लोथर

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1-- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आर.एस. मिश्रा (अराज्यपत्रित सिविल सेवा)
- 2-- वर्तमान धारित पद सहायक तकनीशियन
- 3-- वर्तमान वेतन 9300-34800+3200 (16650/-) अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1/7/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
शहर भोपाल, समस्त, गोविन्दपुरा, दिनोत्रिया, जनपद पंचायत फंदा, तह-हुजर-भोपाल (अशोक गार्डन जेनरल कोला)	भवन अ.र.गड (40x60 वर्गफिट)		15 लाख लगभग 12 लाख लगभग	स्वयं श्रीमती जगदनी मिश्रा पति	SAR-404/69 केडर की आर्गेटिव सो. द्वारा आवंटित, शा. सेवा के पूर्व से सदस्यता की रकम-समय पर किलो ग राशि रु. 48000/- का भुगतान कर 26/5/97 को भुगतान कर कर बैंक-PNB/ ICICI एवं Bank of Maharashtra से 4.5% लाभा का अर्जन कर भवन निर्माण किया गया। श्री एम. एन. शर्मा से ऊप. करक गया रु- 11/2/2002 (कफ) रु. 76000/- जो स्वयं की वचन एवं पारिवारिक लक्ष्य के अनुसार किया गया।	12000/- प्रधान किराये से	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... श्रीमती शर्मा

नाम..... आर.एस. मिश्रा

पद..... सहायक तकनीशियन

लोक शिक्षण संस्थान लखनऊ
म.प्र. भोपाल

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... योगेश्वर सिंह
- 2- वर्तमान धारित पद..... कनिष्ठ तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन..... 16670 अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... 11/7/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
तह-हज़ूर जि. भोपाल वर्धमान ग्रीन पार्क अशीम गार्डन कोटाक (म.प्र.)	शकन		15 लाख लगभग	स्वयं रखें	वर्धमान कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. से खरीद किया गया - 5 फरवरी वर्ष 2007 श. को. बैंक लाइव खाती से ऋण लेकर	निर्देय -	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पवर्गीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... YS Singh

नाम..... योगेश्वर सिंह

पद..... कनिष्ठ तकनीशियन
कोटाक शा. संचालकलय
2025, भोपाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... गोविन्द शंकर दीक्षित (विद्यार्जनपत्रित सिविल सेवा)
- 2- वर्तमान धारित पद..... सहायक डिप्टी कमिश्नर (पद विरह) शिक्षण अधिकारी
- 3- वर्तमान वेतन..... 18520 (34800 + 3600)..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... 1.7.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) <u>शहर-ओप्राक तह. इमरु जवाहर चौक मोहा</u>	<u>फ्लैट EWS</u>	-	<u>85 हजार लगभग</u>	<u>श्री श्री सीता दीक्षित पति</u>	<u>डॉ. सिद्धेश्वर लोड प्रवर्ण ली दि- 25/8/86 को रुक एंव 30/12/96 को प्राप्ति किया गया।</u>	<u>12000/- प्रमाण किताब में</u>	-
(2) <u>दामिशा कुंज- ग्राम बजाडी को लर ओप्राक मोहा</u>		<u>35X60 2100 वर्गफिट प्रवर्ण</u>	<u>10 लाख लगभग</u>	<u>पति स्व स्वयं</u>	<u>दामिशा ग्राम निधि समिति को 2005 उम्मेदवार श्री आनंद कुमार ली रुक किया (प्रा) तत्पश्चात् रु. 273 लाख में स्वयं अर्जित से रुक किया गया।</u>	-	-
(3) <u>पैलेस आर्चेड III ग्राम दासखंडा को लर रोड- मोहा</u>	<u>हुपलम अवन B-109</u>		<u>20 लाख लगभग</u>	<u>— " — " —</u>	<u>आर्चेड पैलेस हाउस श्री वात बलाग को किया गया, जो पूर्वकाल में वात बलाग से रुक किया गया। MDFC BANK से रुक ली रुक वरु से सहयोग + वचन राशि है।</u>	<u>स्वयं अर्जित</u>	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आवरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... गोविन्द शंकर दीक्षित.....
 नाम..... गोविन्द शंकर दीक्षित.....
 पद..... सहायक डिप्टी कमिश्नर (पद विरह) शिक्षण अधिकारी
लोक शिक्षण संघालनालय (म.प्र.)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... नीलकंठ डोगे
- 2- वर्तमान धारित पद..... सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन..... 16750 अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... जुलाई-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	15x50 फिट पर बना हुआ गकान		लगभग 6-00000	(स्वयं)	पट्टा पर कर उसमें निर्माण कार्य किया गया (बांकी बचत पर कोन फ्लॉप) जून 2010	नहीं	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- * * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... *N. K. Doge*

नाम..... नीलकंठ डोगे

पद..... सहायक तकनीशियन

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... उमाकान्त उपाध्याय सह. तक.
- 2- वर्तमान धारित पद... सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन... 16610(13410+3200) अगली वेतन वृद्धि की तारीख... 1 July 2010

उस जिले उप समाग, ता.दुरां तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
ग्राम- <u>खोखेडा</u> 1. तह. <u>पुर</u> जिला <u>मोपाल</u>	भवन S.MLG-5		4.00 लाख लगभग	स्वयं	बैंक लोन + स्वयं की बचत	NIL	
2. शहीव भण्डार अयोध्या कालपास रोड <u>मोपाल</u>	भवन MLG-B-1		15.00 लाख लगभग	स्वयं + पत्नि	बैंक लोन + स्वयं की बचत	12,000/- वार्षिक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तत्त्वों को उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... [Signature]
 नाम... उमाकान्त उपाध्याय
 पद... सहायक तकनीशियन